SHRI SANJAY DALMIA: Sir, I would like to move a privilege motion against this Company, against the Officers and the Directors who have the cheek to call our Parliament a colonial Parliament.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): It is not a colonial Parliament.

SHRI SANJAY DALMIA: Sir, I know it is not, but what I am saying is that the objects and the Memorandum of this Company even today states this. And it is an Indian Company! The larger shareholder is Government of India through its financial institutions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): If it is so, it is objectionable.

SHRI SANJAY DALMIA: Sir, it is objectionable. That is why I am bringing it to your notice and to the notice of the whole House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): But, from the Chair I cannot expunge those words. So, you are free to move a privilege motion.

Demand for Reservation Benefits to Christian Scheduled Castes

SHRI JOY NADUKKARA (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. It is with wounded feelings I am raising the issue of Dalit Christians, their plight, their struggle for equality and justice, before this House. They are a group of Indian citizens, on whose faces the doors of justice, the doors of equality have been closed. They are not being treated on a par with other Dalits in this country. They are being discriminated against. The fundamental principles, the basic principles which we are adhering to are based on equality. We are against any type of discrimination.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am on a point of order. ...(*Interruptions*)... I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): On a maiden speech there is no point of order.

SHRI JOY NADUKKARA: even after so many years of independence, this discrimination persists. It haunts the conscience of our nation. In the case of Dalit Christians, there is a pure and naked violation of those fundamental principles.

As all of us are aware, the controversial law came into force in 1950. It was called the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order, 1950. It was a Presidential Order. When this Order came into force, it has divided the Scheduled Caste people into two categories, one belonging to the Scheduled Castes and the other belonging to the Scheduled Castes of other communities. As per this law, the right to reservation facilities were denied to the Scheduled Castes people who did not belong to the Hindu community. That was the beginning. Later on, due to stiff resistance from other communities like Buddhists and Sikhs, the Government was forced to amend the law, to enable them to enjoy the reservation facilities. Even at that time the poor Christians were ignored, the Dalit Christians were ignored. The right to reservation facilities was denied to them. I do not know why such a thing had happened in this country. The thing is that casteism is not based on religion, racism is not based on religion, the social backwardness is not based on religion. It is entirely based on other matters. Even now the Dalit Christians were denied the right to reservation facilities. They were fighting against this discrimination right from the very beginning, from 1950 onwards. But the Government failed to give attention to the cries of Dalit Christians in India. Rather the Government is ignoring them. I am not accusing any particular Government. From 1950 onwards so many Governments came into power, but none of them cared and none of them paid any attention to the cry of these people. At present their agitation has reached a stage where nobody can ignore it. Their only demand is simple justice. They are demanding for justice because they got themselves converted from one

religion to the other. So, justice should not be denied to them. There is no logic and morality in it. The Government also has accepted it. In order to provide reservation facilities to neo-Buddhists and Sikh community, the law was amended. The law was amended because the Government has accepted this principal. By merely converting from one religion to another, it should not disentitle a person from this right of reservation facility. Now only Dalit Christians are remaining. We cannot simply tell them that conversion from one religion to Christianity is a sin. We cannot simply tell them that you being a Christian, you must be penalised for it. We cannot say these things. Now what is to be done is that the law must be amended. Steps must be taken to amend the present law to enable the Dalit Christians to enjoy the facility of reservation.

I hope and pray that the Government would take immediate steps to amend the law to include Dalit Christians also in this category of reservation. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Thank you, Mr. George. Though it is your maiden speech, it has been made very well. *(Interruptions)* I am congratulating him on his maiden speech.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। अभी जो विषय विशेष उल्लेख के माध्यम से इस सदन में रखा गया है ...(व्यवधान)... देखिए, मैंने चेयरमैन साहब से परमिशन मांगी है कि मैं अपने व्यूज़ रखना चाहती हूं, उन्होंने परमिशन दी है, यह कहकर मैंने परमिशन मांगी है कि मैं एसोसिएट नहीं करूंगी, अपनी पार्टी के व्यूज़ रखना चाहती हूं, उन्होंने बाकायदा अनुमति दी है।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) पहले एसोसिएट को दे दीजिए, उसके बाद डिसएसोसिएट को दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वाराजः और कोई नहीं है इसमें एसोसिएट करने के लिए, सिर्फ मेरा और उनका ही नाम है।

SHRI MD. SALIM: I want to associate myself with it.

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैंने कहा इसमें और कोई नाम नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, जो विषय अभी विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन में रखा गया है, मैं सभापति जी की अनुमति से और आपके माध्यम से सदन में उस पर अपनी और अपने दल की राय दर्ज कराना चाहती हूं क्योंकि हमारी राय इसमें भिन्न है। पिछले कई दिनों से दलित क्रिश्चियन, इस एक वर्ग को आरक्षण देने की मांग का आन्दोलन काफी तूल पकड़ रहा है। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, पूरे देश के कान्वेंट स्कूलों में एक दिन के लिए हड़ताल रखी गई। मुझे खुशी है कि हमारी सम्माननीय मदर टेरेसा ने इस मांग से अपने आपको सार्वजनिक रूप से अलग कर लिया। जहां तक मेरा और मेरे दल का संबंध है, हम इस मांग का विरोध कर रहे हैं किन्तु अकारण नहीं, बहुत वैध कारण हैं हमारी इस मांग का विरोध करने के।

उपसभाध्यक्ष जी, आपको पता होगा कि संविधान सभा में जब हरिजनों को आरक्षण देने का प्रश्न उठा था तो बुहत विशेष बहस इस विषय पर हुई थी और उस बहस का उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने एक बात कही थी कि चूंकि हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता जैसी बुराई है, छूत-छात जैसी शर्मनाक बुराई है, उसके कारण जो उपेक्षित और शोषित वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने के लिए हम आरक्षण का ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Are you having a debate on this, Mr. Vice-Chairman?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): No. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Allow us also. Different parties have different views.

श्रीमती सुषमा स्वराजः इसका आधार अस्पृश्यता था। उपसभाध्यक्ष जी, जो धर्म अस्पृश्यता को स्वीकार ही नहीं करता और मुझे खुशी है कि नहीं करता, वह धर्म आज अस्पृश्यता के नाम पर एक नया नॉमनक्लेचर गढ़कर—"क्रिश्चियन दलित" जैसा शब्द न तो शब्दकोश में है, न इसाई धर्म में आपको मिलेगा—उस पर आरक्षण मांगा जा रहा है। अस्पृश्यता जो आधार थी आरक्षण देने का, वह अस्पृश्यता जिस धर्म में है ही नहीं, उस आधार पर आरक्षण की मांग बिल्कुल अवैध है।

इससे भी ज्यादा वेलिड रीज़न जो मैं देना चाहती हूं वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में आरक्षण की सीमा तय की है और आपने आज के समाचार पत्र पढ़े होंगे—आप तो वकील हैं, शायद कल शाम ही आपको पता चल गया हो—कल ही एक निर्णय के द्वारा उन्होंने

अपने उस पुराने निर्णय को पुष्ट किया है। कर्नाटक की सरकार, जहां से स्वयं मिसेज़ मारग्रेट आल्वा हैं, कर्नाटक की सरकार को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता, आप जिस मर्जी के लिए आरक्षण करिए लेकिन कुल मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि इस 50 फीसदी की सीमा में एस० सी०/एस० टी० का आरक्षण साढ़े बाइस प्रतिशत है, उसमें भी एस० टी० का आरक्षण साढ़े सात प्रतिशत है तथा एस० सी० का आरक्षण केवल 15 प्रतिशत है। अगर क्रिश्चियन दलित के नाम पर एक और वर्ग को इसमें जोड़ा जाता है तो उसी 15 प्रतिशत के हिसेदार वे होंगे जो 15 प्रतिशत आलरेडी हरिजनों को मिला हुआ है। इससे पहले भी जब एक्स सर्विससेज के लिए आरक्षण रखा गया, विक्लांगों के लिए आरक्षण रखा गया तो उनमें जो एस० सी० थे उनको इस 15 प्रतिशत के अगेंस्ट जोड़ दिया गया। अब अगर एक अलग वर्ग और वह वर्ग भी कौन सा, जो इन हिन्दू हरिजनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पढ़ा-लिखा है, कान्वेंट एजुकेटिड है, अगर उनको इस 15 प्रतिशत में जोड़ा गया तो वह हिस्सा किसका मारेगा उस 15 प्रतिशत का, जिनको पहले ही अपनी आबादी से कम हिस्सा मिला हुआ है। इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह मांग हरिजनों को मिले हुए हिस्से में से और ज्यादा उनके हिस्सा कम करने की मांग है, आलरेडी हरिजनों का जो उपेक्षित वर्ग है, उन पर अन्याय करने की मांग है। इसलिए ये दो प्रमुख कारण हैं, कारण तो और भी हैं, लेकिन ये दो प्रमुख कारण हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): इसमें कोई डिबेट नहीं हो रही है, समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से मेरा दल आरक्षण की इस मांग का विरोध करता है और इस बात को मैं दर्ज़ कराना चाहती हूं।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Mr. Nilotpal Basu, you have not sought permission. If you are allowed to speak, then I will also speak. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उपसभाध्यक्ष जी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): श्रीमती सरला माहेश्वरी जी, आपका एसोसिएशन मैंने लिख दिया है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: इसमें अलग तरह के विचार भी आए हैं और एक बहसनुमा रूप दे दिया गया है इसको। इसलिए पहले तो मेरा ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल) इसलिए मैंने उनको रोक दिया है। सुषमा जी को इसलिए रोका है कि इसमें कोई डिबेट नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: जब पूरी बहस को यहां रूपांतरित किया जा चुका है तब मैं समझती हूं...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): दो स्पेशल मेंशन और हैं। अगर वह खत्म हो जाएंगे तो ढाई बजे दूसरा विषय ले लेंगे। राघवजी बहुत इंतजार कर रहे हैं। आपका एसोसिएशन में लिखा देता हूं विद मि० जॉय एंड मि० वायालार रवि ने भी कहा है। आपका भी एसोसिएशन है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): हमारे संविधान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमारा देश एक धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र होने के नाते राज धर्म के नाम पर अपने आर्थिक लाभों के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यह हमारे संविधान निर्माताओं की स्पष्ट समझ थी और इसी स्पष्ट समझ के साथ हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि हमारे संविधान में जो दलित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं सिर्फ इस कारण से उन्होंने दूसरा धर्म ले लिया है। ...(व्यवधान)... इस कारण राष्ट्र का यह अधिकार नहीं बनता कि वह उनकी जायज मांगों की उपेक्षा करें। ...(व्यवधान)...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I also want to associate myself with this Special Mention. I want to say that untouchability was not the criterion for reservation. It is a wrong impression because untouchability is a crime in India today. So, it cannot be a criterion for reservation. Normally, Sir, these are the reservations meant for those Indians who are socially and economically backward and if they change their religion, they do not cease to be Indians. They continue to be Indians. So, it cannot be a bar. So, I fully endorse the views of my hon. friend.

Acute Shortage of Power in Karnataka

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. House the problem of acute shortage of power in Karnataka. The power crisis in Kernataka is so acute that